

महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

(प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM  
(TRAINING CENTRE)

सं.ले.प./प्रशिक्षण/11-2/2026-27/  
No.Au/Trg/11-2/2026-27/

दिनांक: 16 जून 2026  
Date: 16.06.2026

अनुभागीय आदेश सं.87/ SECTIONAL ORDER NO.87

दिनांक 26.05.2026 के सेक्शनल ऑर्डर नंबर 57 में आंशिक बदलाव करते हुए, RCBKI, चेन्नई में ऑनलाइन मोड से होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, पहले से चुने गए अधिकारी की जगह इस ऑफिस के एक दूसरे अधिकारी को चुना गया है।


In partial modification of Sectional Order No.57 dated 26.05.2026, the following official of this office has been nominated in place of the originally nominated official for the training programs mentioned against their name, scheduled to be conducted at RCBKI, Chennai through **ONLINE Mode**.

Sl No.	Name of the Official Originally Nominated (Shri. / Smt.)	Name of the Substitute Nominated (Shri. / Smt.)	Dates of Training	Training Course
1.	Himanshu Kumar, AAO/ITS Cell	Adarsh Singh, AAO/ AMG III	15.06.2026 To 18.06.2026	Compliance Audit

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using his Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months from the last day of Training.

(उप महालेखाकार (प्रशासन) के दिनांक 12 जून 2026 के आदेशानुसार)

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण  
Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

1.	अनुभागीय आदेश वृक/सूचना पट्ट	4.	व.अ.प.ले./प्रशा., रोकड, हक .प.ले)-I)/(ले.प.-II)
2.	संबंधित अधिकारी	5.	म.ले. (ले.प.-I)/(ले.प.-II) के सचिव/निजी सचिव
3.	संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए